



2026:AHC:127811

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 20018 वर्ष 2026

रिहान

..... आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता : अभिषेक राय, प्रभाकर सिंह, रविन्द्र नाथ राय

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक राय तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड़ के मुकदमा अपराध संख्या 719/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2), 324(4), 317(3), 61(2), 345(3) के अंतर्गत प्रार्थी की जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है। अभिकथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है और उसके कब्जे से 35,000/- रुपये की झूठी बरामदगी दिखाई गई थी। उसका नाम सह-अभियुक्त जीशान के इकबालिया बयान में सामने आया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि सह-अभियुक्त, अर्थात् जीशान को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 14.05.2026 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 13439/2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। उसने आगे यह भी कथन किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 06.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात् जीशान को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रतिद्वंद्वी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का अवलोकन किया है।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, अर्थात् जीशान को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न तो अपास्त किया गया है और न ही उस पर रोक लगाई गई है, तथा प्रार्थी दिनांक 06.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर छोड़े जाने हेतु उपयुक्त समझता हूँ।

7. जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक -**रिहान** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलके तथा समान राशि के दो-दो जमानतदारों की प्रस्तुति पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक यह वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर कोई **स्थगन** नहीं माँगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के प्रारंभ, (2) आरोप-विरचन एवं (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षीगण की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

कीर्ति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।